दां.प्रकी.(जमा.) 4442/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रमेश पुरोहित,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में मात्र लूट का प्रयास करने के आरोप लगाए गए हैं, कोई लूट कारित नहीं की गई है। अभियुक्त से तफ्तीश हो चुकी है, न्यायिक हिरासत में है। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी आसीकुल पुत्र उमर खां योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा